



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224767
CG-DL-E-29012021-224767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 49(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (निदेशक) भर्ती नियम, 2009 के नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (महानिदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (निदेशक) भर्ती नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।) में नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”;

3. उक्त नियम की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (1) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-
“महानिदेशक”

(ख) स्तंभ- (4) में:-

- (i) स्तंभ शीर्षक के लिए, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” को रखा जाएगा;
- (ii) प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-
“स्तर 14 (144200-218200 रु.)”;

(ग) स्तंभ 12 में,-

- (i) “वेतनमान 37000 रु.- 67000+ ग्रेड वेतन 8900 रु.” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क (131100-216600 रुपये), शब्द, अंक अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ii) “वेतनमान 37000 रुपये- 67000+ ग्रेड वेतन 8700 रुपये” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये)”, शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12024/01/2005-ईएसए(एनएलआई)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 10, तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2021

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the V.V. Giri National Labour Institute (Director) Recruitment Rules, 2009 namely:-

1. Short title and Commencement:-

- (1) These rules may be called the V.V. Giri National Labour Institute (Director General) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the V.V. Giri National Labour Institute (Director) Recruitment Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of said post, its classification and level in pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

3. In the said rules, in the Schedule,-

- (a) in column (1), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
“Director General.”;
- (b) in column (4),-
 - (i) for the column heading, the column heading “Level in pay matrix” shall be substituted;
 - (ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
“Level 14 (Rs 144200-218200).”;
- (c) in Column 12,-
 - (i) for the words, letters and figures “the pay scale of Rs. 37000-67000+Grade Pay of Rs. 8900”, the words, figures, letters and brackets “level 13A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix” shall be substituted;

(ii) for the words, letters and figures “the pay scale of Rs. 37000-67000+Grade Pay of Rs. 8700”, the words, figures, brackets and letters “level 13(Rs. 123100-215900) in the pay matrix” shall be substituted.

[F. No. A-12024/01/2005-ESA (NLI)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.10 dated the 22nd January, 2009.